(4)

न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 03/2025

स्टेट जरिये जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़

——प्रार्थी

बनाम

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र गोपाल राम निवासी गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6ए ई.सी. एक्ट

उपस्थितः—1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0।

2 श्री छगनलाल सिडाना अभिभाषक अप्रार्थी।

—:निर्णयः—

दिनांकः—29.09.2025

माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं. 01, हनुमानगढ़ द्वारा दाण्डिक अपील सं. 08/2025 अनवानी सुरेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान राज्य में निर्णय दिनांक 18.08.2025 में अपील अपीलार्थी स्वीकार करते हुए इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.11.2024 को अपास्त फरमाया गया। इस न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि उभय पक्षों को सुनकर आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर नवीन निर्णय पारित किया जावे। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.10.2023 को जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ मय कार्यालय स्टाफ पेट्रोल व डीजल का अवैध भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम विरूद्ध अभियान के तहत निरीक्षण के दौरान जाँच करने के लिए ग्राम गोलूवाला में गणपति टेलीकॉम के सामने नोहरे में तलाशी ली गई। मौके पर नोहरे में मकान मालिक सुरेन्द्र कुमार पुत्र गोपाल राम की उपस्थिति में तलाशी की कार्यवाही करवाई। तलाशी के दौरान मकान से 4 प्लास्टिक ड्रमों व 1 लोहे के ड्रम में डीजल एवं दो प्लास्टिक कैनियों मे पेट्रोलियम पदार्थ भरा होना पाया गया। उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को देखने, सूघने से 4 प्लास्टिक ड्रमों व 1 लोहे के ड्रम में डीजल एवं दो प्लास्टिक कैनियों में पेट्रोल होना पाया गया। साथ में लोहे के नाप, कीप एवं विधुत मोटर भी पाये गये। तलाशी में मौके पर 4 रजिस्ट्रर में पेट्रोल—डीजल बिक्री का हिसाब—किताब अंकित मिला है जिससे उक्त स्थान पर पेट्रोल—डीजल का कारोबार होना स्पष्ट होता है। मौके पर पाये गये डीजल का माप किया गया जो 640 लीटर डीजल एवं दो प्लास्टिक कैनियों में 70 लीटर पेट्रोल होना पाया गया। पूछताछ में श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा पेट्रोल—डीजल भण्डारण, व्यापार का कोई अनुज्ञापत्र/परमिट अथवा लाइसेंस आदि नहीं होना बताया है। चुकि बिना सक्षमं स्वीकृति के पेट्रोल—डीजल का व्यापार करना मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल आदेश 2005 के क्लॉज 4 स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रकरण में श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र गोपाल राम का उक्त कृत्य मोटर स्प्रिंट और हाई स्पीड डीजल आदेश 2005 के क्लॉज 4 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन होने के पर 640 लीटर डीजल मय 4 प्लास्टिक एवं 1 लोहे का ड्रम, 70 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक केनी, 1 हस्तचालित पप्प, 2 लोहे की कीप 2 लोहे के माप एक इलेट्रोनिक मोटर मय पाईप मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

सामग्री श्री बद्री प्रसाद पुत्र पतराम उचित मुल्य दुकानदार गोलूवाला सिंहागान को सुपुर्दगी में दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए प्रस्तुत कर उक्त जब्तशुदा 640 लीटर डीजल मय 4 प्लास्टिक एवं 1 लोहे का ड्रम, 70 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक केनी, 1 हस्तचालित पप्प, 2 लोहे की कीप, 2 लोहे के माप, एक इलेट्रोनिक मोटर मय पाईप राजसात करने का निवेदन किया।

प्रकरण न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये।

अप्रार्थी द्वारा जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि अप्रार्थी संयुक्त परिवार का सदस्य है। हम अप्रार्थीगण एक ही घर में रहते हैं और हमारा ट्रकों व भाड़े के साधनों का कारोबार है। अप्रार्थी के स्वंय के नाम से एक वाहन पिकअप नम्बर आरजे 13 जीबी 3259 व एक 14 टायर Trailer RJ-07–GA-8127 है व एक मोटरसाईकिल CH-01 AB-6075 व अप्रार्थी के भाई राजेन्द्र कुमार के नाम से एक 12 टायर ट्रक RJ-49-GA 0742 है। एक पैंट्रोल कार RJ-31CA-6519 छोटे भाई नरेन्द्र कुमार के नाम से है। उक्त सभी डीजल व पेट्रोल के साधन है उक्त साधन भाड़े पर चलते है जिन पर ड्राईवर रखे हुए है। उक्त व्यवसाय को अप्रार्थी स्वयं चलाता है एवं हिसाब अप्रार्थी रजिस्टर में अंकित रखता है। उक्त साधनों के संचालत हेतु अप्रार्थी को डीजल पैट्रोल की आवश्यकता होती है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी के नोहरे से 640 लीटर डीजल व 70 लीटर पेट्रोल होना बताया गया है जबकि प्रार्थी के पास 2 बड़े ट्रक, एक पीकअप, एक मोटरसाईकिल व एक कार है जिनके लिए पेट्रोल–डिजल की आवश्यकता रहती है। अप्रार्थी व अप्रार्थी के परिवार के उक्त साधनों का डीजल–पेट्रोल है। अतः निवेदन किया कि उक्तानुसार जब्तशुदा डीजल–पेट्रोल अप्रार्थी को दिया जावे व आगामी कार्यवाही ड्रॉप की जावे। अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये:–

1. Jangir Singh & Ors. Vs. State of Rajasthan, (2014) 2 Cr.L.R. 942
2. Karamjeet singh Vrs. State of Rajasthan 2016(1) Cr.L.R. (Raj.) 506
3. Arvind Swami & Anr. Vrs. State of rajasthan 2017(4) Cr.L.R.(Raj.) 1860
4. Vinod kumar Vrs. State of rajasthan 2019 (3) R.Cr.D. 39(Raj

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

राजकीय अभिभाशक ने एकपक्षीय बहस में कथन किया है कि प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा उक्त जब्तशुदा 640 लीटर डीजल मय 4 प्लास्टिक एवं 1 लोहे का ड्रम, 70 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक केनी, 1 हस्तचालित पप्प, 2 लोहे की कीप 2 लोहे के माप एक इलेट्रोनिक मोटर मय पाईप के साथ जब्त किया गया है। जब्ती के समय कोई बिल लाईसेंस, परमिट इत्यादि मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये गये। उक्तानुसार जब्तशुदा डीजल–पेट्रोल अप्रार्थी के नोहरे से जब्त किया गया है जिसे बिना लाईसेंस, परमिट के अवैध रूप से भण्डारण एवं कारोबार साबित होता है। अवैध पेट्रोल, डीजल रखना व बैचना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा पेट्रोल, डीजल मय उपकरण राजसात किया जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:–

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्ती के समय साथ में लोहे के नाप, कीप एवं विधुत मोटर भी पाये गये। तलाशी में मौके पर 4 रजिस्ट्रर मे पेट्रोल–डीजल बिकी का हिसाब–किताब अंकित मिला है जिससे उक्त स्थान पर पेट्रोल–डीजल का कारोबार होना स्पष्ट होता है। जिससे सिद्ध होता है कि अप्रार्थी द्वारा काफी समय से अवैध भण्डारण एवं कारोबार हो रहा है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

(7)

2. अप्रार्थी भी वरवक्त जांच मौके पर मौजूद था और उसके दौराने बहस/ सुनवाई में मौके पर उपस्थित होकर रिपोर्टेड मात्रा में डीजल व अन्य सामग्री होना मौखिक रूप से स्वीकार किया है। किन्तु किसी प्रकार के परिवहन व भण्डारण संबंधी अनुज्ञा होने से मना किया, जिससे यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में डीजल/पेट्रोल भण्डारण अवैध था।
3. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण पेट्रोल, डीजल के विक्रय, कारोबार करने हेतु कोई बिल लाईसेंस, परमिट इत्यादि मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये गये थे तथा ना ही अब कोई ठोस दस्तावेज साक्ष्य आदि पेश हुए हैं। मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज, लाईसेंस परमिट आदि नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने जब्ती लाइसेन्स के अभाव में अवैध भण्डारण एवं कारोबार का कृत्य, 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लघंन है। जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।
4. इस सम्बध में राज्य सरकार के पत्रांक पी–3/जयपुर दिनांक 04.06.2002 अनुसार 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क का भण्डारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है जबकी प्रश्नगत प्रकरण में अप्रार्थी पास 70 लीटर पेट्रोल का भण्डारण पाया गया है।
5. अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्त परिवहन के सम्बध में पेश किये है ना की भण्डारण के संदर्भ में, जो उक्त प्रकरण में चस्पा नही होते।

अतः जब्तशुदा उक्त जब्तशुदा 640 लीटर डीजल मय 4 प्लास्टिक एवं 1 लोहे का ड्रम, 70 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक केनी, 1 हस्तचालित पप्प, 2 लोहे की कीप 2 लोहे के माप एक इलेट्रोनिक मोटर मय पाईप को इस न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 31.10.2023 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़